

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 96 सन 2021

अनवान :-

1. गोपीराम पुत्र उदमीराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मीरादेवी पत्नी उदमीराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
2. हरीराम पुत्र उदमीराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
3. धापी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
4. सुनीतादेवी पत्नी श्योपतसिंह जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
5. धारू पत्नी जयसिंह जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
6. चुन्नीराम पुत्र बीरबल जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
7. भीमराज पुत्र चन्द्रभान जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
8. सुरेश पुत्र चन्द्रभान जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
9. आत्माराम पुत्र चन्द्रभान जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 08/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 255/231 के खसरा न0 106 की 25.5720हैक जो पूर्व में वादी के दादा बीरबल पुत्र न्यौताराम के नाम से दर्ज थी।

वर्तमान में वादी भूमि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 573/259 की कुल 25.5720हैक भूमि जिसमें वादी 538/6393हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 538/6393 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 538/6393हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 1039/106 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 24497/255720हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेली 24497/255720हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 अकेली 7127/255720हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 अकेली 7513/127860हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 5009/85240हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 अकेला 5009/85240हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने काश्त की सुविधा के मध्यनजर काफी समय पूर्व बाहमी बटवारा कर लिया था जो वाद की मद संख्या 4 के अनुसार है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम से दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने भूमि काश्त करने की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया

22

गया था उसी के अनुसार भूमि काशत करते आ रहे हैं बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 10 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 255/231 के खसरा न0 106 की 25.5720 हैक् जो पूर्व में वादी के दादा बीरबल पुत्र न्यौताराम के नाम से दर्ज थी।

वर्तमान में वादी भूमि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 573/259 की कुल 25.5720 हैक् भूमि जिसमें वादी 538/6393 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 538/6393 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 538/6393 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 1039/106 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 24497/255720 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेली 24497/255720 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 अकेली 7127/255720 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 अकेली 7513/127860 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 5009/85240 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 अकेला 5009/85240 हिस्सा के खातेदार काशतकार दर्ज है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने काशत की सुविधा के मध्यनजर काफी समय पूर्व बाहमी बटवारा कर लिया था जो वाद की मद संख्या 4 के अनुसार है उसी के अनुसार भूमि काशत करते आ रहे हैं बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम से दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 573/259 की कुल 25.5720 हैक् भूमि जिसमें वादी 538/6393 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 538/6393 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 538/6393 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 1039/106 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 24497/255720 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेली 24497/255720 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 अकेली 7127/255720 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 अकेली 7513/127860 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 5009/85240 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 अकेला 5009/85240 हिस्सा के खातेदार काशतकार दर्ज है। रोही मौजा चक 15 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 46/40 की कुल 1.2650 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब बतौर खातेदार काशतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जो एक ही परिवार के सदस्य है के मध्य भूमि काशत करने की सुविधा के मध्यनजर बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी

(2)

प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पास रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 573/259 की कुल 25.5720हैक् भूमि में से 5.570हैक् बहिब रहेगी प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पास रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 573/259 की कुल 25.5720हैक् में से 6.9150हैक् भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 6 के पास रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 573/259 की कुल 25.5720हैक् में से 6.115हैक् भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 के पास रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 573/259 की कुल 25.5720हैक् में से 6.972हैक् भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)



सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. गोपीराम पुत्र उदमीराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. मीरादेवी पत्नी उदमीराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
2. हरीराम पुत्र उदमीराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
3. धापी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
4. सुनीतादेवी पत्नी श्योपतसिंह जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
5. धारू पत्नी जयसिंह जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
6. चुनीराम पुत्र बीरबल जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
7. भीमराज पुत्र चन्द्रभान जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
8. सुरेश पुत्र चन्द्रभान जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
9. आत्माराम पुत्र चन्द्रभान जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 96 सन 2020 निर्णय दिनांक- 08/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पास रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 573/259 की कुल 25.5720हैक भूमि में से 5.570हैक बहिब रहेगी प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पास रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 573/259 की कुल 25.5720हैक में से 6.9150हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 6 के पास रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 573/259 की कुल 25.5720हैक में से 6.115हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 के पास रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 573/259 की कुल 25.5720हैक में से 6.972हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/03/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)